भंवरलाल बनाम कुम्भाराम वगैरा
2024/141
निर्णय दिनांकः–26.11.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 141/2024

भवरलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– प्रार्थी

–:बनाम:–

1. कुम्भाराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता –– प्रार्थी
2. श्री अनिल कुमार सिहाग अधिवक्ता –– अप्रार्थी संख्या 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः–26/11/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 आपस में सगे भाई एंव संयुक्त खातेदार हैं। यह कि तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 2 एसटीबी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से चालू के खाता सं. 11/6 का प.नं. 109/370 मु.नं. 23 कि.नं. 13 ता 19 की कुल 1.7710 हैक्ट. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसके खाता में प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एम डब्ल्यू एम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान है। अवलोकनार्थ सत्य प्रतिजमाबन्दी पेश है ।

तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 12 एमडब्ल्यूएम की सम्वत् 2075 से 2078 से चालू के खाता सं. 12/9 का प.नं. 115/367 मु.नं. 22 कि.नं. 1 ता 25 व प.नं. 115/368 मु.नं. 23 कि.नं. 1/1/0.0310, 2/1/0.0320, की कुल 6.3880 हैक्ट. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसके खाता में प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन जाखडांवाली तहसील पीलीबंगा दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

भंवरलाल बनाम कुम्भाराम वगैरा
2024/141
निर्णय दिनांकः–26.11.2024

प्रार्थना पत्र की दफा 1 ता 3 में वर्णित अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त कृषि भूमि के खातों में प्रार्थी अपना नाम सही नाम भंवरलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि पर बैंक से के सी सी बनवाने एंव प्रार्थी को कृषि भूमि पर मिलने वाली सरकारी व गैर सरकारी सुविधा उक्त अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त होने के अभाव में मिलने में परेशानी हो रही है जिससे प्रार्थी का नाम उक्त कृषि भूमि के खातों में दुरूस्त भंवरराम के स्थान पर भंवरलाल अंकित किया जाना आवश्यक है। अवलोकनार्थ प्रार्थी का आधारकार्ड व जन आधारकार्ड व पैन कार्ड व राशनकार्ड व पंजाब नैशनल बैंक की पास बुक की चित्र प्रतियां सल्न है। प्रार्थी के पुत्र कृष्णकुमार का आधार कार्ड की प्रति पेश है जिसमें प्रार्थी के पुत्र का नाम पिता के नाम सहित कृष्णकुमार पुत्र भंवरलाल सही अंकित है। जिनमें प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र पतराम सही अंकित है। एवं सरपँच ग्राम पंचायत चक 6 बीएचएम तहसील पीलीबंगा ने भी प्रार्थी एक ही व्यक्ति का नाम भंवरराम उर्फ भंवरलाल होना व प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल हाने की तस्दीक दी है। जो सलंग्न प्रार्थना पत्र है। जिससे प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र पतराम होना साबित है।

यह कि अप्रार्थी नं. 1 को प्रार्थी का भाई एंव संयुक्त खातेदार होने से व अप्रार्थी नं. 2 तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को भू–धारक होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थना पत्र में नुक्श ना रहे।

अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से दुरूस्ति की जावे :–

क. यह कि तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 2 एस टी बी की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 से चालू के खाता सं. 11/6 का प.नं. 109/370 मु.न. 23 कि.नं. 13 ता 19 की कुल 1.7710 हैक्ट. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसके खाता में प्रार्थी का नाम भंवरराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की दुरूस्ति की जावे ।

ख. कि तहसील पीलीबंगा की मुताबिक जमाबंदी चक 12 एम डब्ल्यू एम की सम्वत् 2075 से 2078 से चालू के खाता सं. 12/9 का प.नं. 115/367 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 25 व प.नं. 115/368 मु.न. 23 कि.नं. 1/1/0.0310, 2/1/0.0320 की कुल 6.3880 हैक्ट. कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जिसके खाता में प्रार्थी का नाम भंवरराम पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पुत्र पतराम जाति जाट साकिन 12 एमडब्ल्यूएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की दुरूस्ति की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद [illegible] रिपोर्ट [illegible] रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र [illegible] दिनांक [illegible].09.2024 को अधिवक्ता श्री अनिल सिहाग द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से [illegible] प्रस्तुत किया गया एवं प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

एवं अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं हाजिर आये तहरीर शुदा राजीनामा पेश किया गया एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जावे काई आपत्ति नहीं है। राजीनामा उभय पक्ष द्वारा स्वीकार होने पर हस्ताक्षर करवाये गए एवं बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया है।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 2516 दिनांक 08.10.2024 से प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार मुताबिक जमाबंदी चक 12 एमडब्लुएम खाता न. 12 में 6.388 हैक्ट. कमाण्ड भंवराराम पुत्र पतराम 1/2 हिस्सा जाति जाट साकिन जाखड़ावाली खातेदार व चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 11 के प.नं. 109/370 के कि.नं. 13 से 19 की कुल 1.771 हैक्ट. कृषि भूमि भंवराराम पुत्र पतराम 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. 12 एमडब्लूएम दर्ज रिकार्ड है। पटवार हल्का जाखड़ावाली की रिपोर्ट व दिनांक 27.09.2024 की घटना बही की नकल पेश की है। जिसमें भंवराराम व भंवरलाल एक ही व्यक्ति के नाम होना मौतबिरान द्वारा बताया गया है। पटवार हल्का द्वारा उक्त नाम भंवरलाल किया जाना मौका जांच व दस्तावेज अनुसार किया जाना उचित बताया गया है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों राजीनामा शपथ पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजीनामा शपथ पत्र का गहन अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट एवं राजीनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड चक 12 एमडब्ल्युएम खाता संख्या 12/9 में 6.388 हैक्ट. कमाण्ड भंवराराम पुत्र पतराम 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. जाखड़ावाली खातेदार व चक 2 एसटीबी के खाता संख्या 11/6 के प.नं. 109/370 के कि.नं. 13 से 19 की कुल 1.771 हैक्ट. कृषि भूमि भंवराराम पुत्र पतराम 1/2 हिस्सा जाति जाट सा. 12 एमडब्ल्युएम दर्ज रिकार्ड है, में प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र पतराम के स्थान पर भंवर लाल पुत्र पतराम किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:04 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीलीबंगा